



POLICE COMMISSIONERATE



GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनांक 17.06.2026

1.थाना बादलपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 02 पिस्टल मय 32 जिंदा कारतूस .32 बोर, 04 तमंचे .315 बोर, 19 खोखा कारतूस .32 बोर, 108 खोखा कारतूस .315 बोर घटना में प्रयुक्त टोयोटा ग्लैंजा कार बरामदा

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 15.06.2026 को डायल-112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि बुलंदशहर से दादरी ओर जाने वाले जीटी रोड पर टोयोटा ग्लैंजा कार में सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई। थाना बादलपुर पुलिस द्वारा घटना का त्वरित संज्ञान लेते हुए अभियोग पंजीकृत कर घटना के सफल अनावरण हेतु पुलिस टीमों गठित की गई।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.06.2026 को थाना बादलपुर पुलिस द्वारा मैनुअल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से घटना का सफल अनावरण करते हुए 03 अभियुक्तगण 1. राहुल पुत्र सोरन सिंह, 2. नीटू उर्फ कुलदीप पुत्र स्व0 ज्ञानेन्द्र, 3. मनोज उर्फ गुड्डू पुत्र चाहताराम को अम्बुजा सीमेंट फैक्ट्री के पास कच्चे रास्ते से गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त राहुल के कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर, 01 तमंचा .315 बोर, अभियुक्त नीटू उर्फ कुलदीप के कब्जे से 01 पिस्टल .32 बोर, 01 तमंचा .315 बोर, अभियुक्त मनोज उर्फ गुड्डू के कब्जे से 02 तमंचा .315 बोर बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त टोयोटा ग्लैंजा कार तथा उसमें रखे 32 जिंदा कारतूस .32 बोर, 19 खोखा कारतूस .32 बोर, 108 खोखा कारतूस .315 बोर व 02 तमंचे की नाल बरामद की गई है।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्तगण आपस में मित्र हैं। दिनांक 15.06.2026 को जी0टी0 रोड पर हुई फायरिंग की घटना के संबंध में पूछताछ करने पर अभियुक्त राहुल ने बताया कि घटना में प्रयुक्त टोयोटा ग्लैंजा कार उसके पड़ोसी के मौसा की है, जिसे उसने लगभग दो दिन पूर्व चलाने के लिए ले लिया था। अभियुक्तों ने बताया कि घटना के दिन वे सभी अपने साथी नीटू उर्फ कुलदीप द्वारा चलाई जा रही कार में सवार होकर बुलंदशहर से दादरी की ओर आ रहे थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक वाहन चालक द्वारा बार-बार हॉर्न बजाए जाने पर वे आक्रोशित हो गए। इसी गुस्से में उन्होंने वाहन चालक को डराने के उद्देश्य से दो राउंड फायर किए और मौके से भाग गए। अभियुक्तों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि वे असलहों एवं कारतूसों का उपयोग लोगों में भय उत्पन्न करने के लिए करते थे।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

1. राहुल पुत्र सोरन सिंह निवासी ग्राम साकीपुर, थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 34 वर्ष, कक्षा-12वीं।
2. नीटू उर्फ कुलदीप पुत्र स्व० ज्ञानेन्द्र निवासी ग्राम बड़पुरा, थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 38 वर्ष, कक्षा- 8वीं।
3. मनोज उर्फ गुड्डू पुत्र चाहतराम निवासी ग्राम बरमदपुर, थाना गुलावटी, बुलंदशहर, उम्र लगभग 36 वर्ष, कक्षा -10वीं।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु०अ०सं० 147/2026 धारा 3(5),125,281,109,351(3) बीएनएस व 03,25,27 आर्म्स एक्ट, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त नीटू उर्फ कुलदीप का आपराधिक इतिहास--

- 1- मु०अ०सं० 242/2018 धारा 120-B,147,148,149,307,34,386,504,506 भादवि, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु०अ०सं० 201/2018 धारा 186, 302, 34, 353, 504 भादवि व 17 आपराधिक कानून अधिनियम, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 3- मु०अ०सं० 203/2018 धारा 307 भादवि, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 4- मु०अ०सं० 204/2018 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट, थाना बादलपुर, गौतमबुद्धनगर।
- 5- मु०अ०सं० 386/2018 धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधि० 1986।

बरामदगी का विवरण--

- 1- 02 पिस्टल .32 बोर
- 2- 04 तमंचे .315 बोर
- 3- 32 जिंदा कारतूस .32 बोर
- 4- 19 खोखा कारतूस .32 बोर
- 5- 108 खोखा कारतूस .315 बोर
- 6- घटना में प्रयुक्त टोयोटा ग्लैंजा कार
- 7- 02 तमंचे की नाल

2.थाना दनकौर पुलिस द्वारा वांछित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-- दिनांक 07.06.2026 को वादी द्वारा तहरीर दी गई कि अभियुक्तों द्वारा वादी के भाई के साथ जाति सूचक अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए गाली गलौच व मारपीट कर घायल कर दिया है। वादी द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 17.06.2026 को थाना दनकौर पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना की सहायता से वांछित 02 अभियुक्त 1. गौरव पुत्र बल्ले सिंह 2. चमन पुत्र महेश को जुनैदपुर की मढैया से धनौरी की ओर जाने वाले रास्ते से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त 02 डंडे बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण--

- 1- गौरव पुत्र बल्ले सिंह निवासी ग्राम रोशनपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 28 वर्ष।
- 2- चमन पुत्र महेश निवासी ग्राम रोशनपुर, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर, उम्र लगभग 27 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

- 1- मु0अ0सं0 144/26 धारा 115(2),352,117(2),109(1) बीएनएस व 3(1)(द),3(1)(घ), 3(2)5 SC/ST एक्ट, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

अभियुक्त गौरव का आपराधिक इतिहास--

- 1- मु0अ0सं0 49/2020 धारा 399/402 भादवि, थाना जारचा, गौतमबुद्धनगर।
- 2- मु0अ0सं0 51/2020 धारा 25 आर्म्स एक्ट, थाना दनकौर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

- 1- घटना में प्रयुक्त 02 डंडे